

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 118/2020 वाद

श्रीमती रचना पत्नी कालुराम रावत, आयु वयस्क, निवासी अम्बामाता,
उदयपुर, राज0। - वादीया

//बनाम//

1. प्रताप सिंह पिता मान सिंह रावत, आयु वयस्क, निवासी धीनवा,
तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मु. धापु बाई बेवा मान सिंह रावत, आयु वयस्क, निवासी धीनवा,
तहसील निम्बाहेड़ा।
3. किशन सिंह पिता चमन सिंह रावत, आयु वयस्क, निवासी धीनवा,
तहसील निम्बाहेड़ा।
4. अमर सिंह मुतबन्ना पूरण सिंह रावत, आयु वयस्क, निवासी धीनवा,
तहसील निम्बाहेड़ा।
5. टमू बाई पिता चमन सिंह रावत, आयु वयस्क, निवासी धीनवा,
तहसील निम्बाहेड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा। - प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि,

निर्णय

दिनांक 02.02.2022

प्रकरण में वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा जावदा की खाता संख्या 243 की आराजी नं. 1822 रकबा 2.2800 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- श्रीमती रचना पत्नी कालुराम रावत, निवासी अम्बामाता, उदयपुर के रहेगी-

आराजी नं.

1822 दक्षिण पश्चिम

रकबा हेक्टेयर में

0.2200

21
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)


2- श्री अमर सिंह दत्तक पुत्र पुरण सिंह 35/206, टमु बाई पुत्री चमन सिंह 19/206 श्री प्रताप सिंह पिता मान सिंह 133/206 रहन बदस्तुर, सीता बाई पुत्री मान सिंह 19/206 रहन बदस्तुर रावत सा0 देह के रहेगी-

आराजी नं.
1822 शेष भाग

रकबा हेक्टेयर में
2.06

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर बदस्तुर रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 02.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

